12/1/24 पत्रावली आज पेश हुई। थाना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अपील प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के समक्ष [illegible] द्वारा [illegible] सहित पेश कर दी है। विपक्षीगण [illegible] विपक्षीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन तीन नोटिस दिलाये गये। बावजूद नोटिस दिलाने के विपक्षीगण [illegible] विपक्षीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है तथा विपक्षीगण के पत्रावली पर [illegible] नहीं [illegible] [illegible] निवास [illegible] [illegible] न्यायालय [illegible] [illegible]। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हो।

[signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलवी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 79 / 2023

प्रार्थीगण
1. करनाराम पुत्र गुणेशाराम
2. चेलाराम पुत्र गुणेशाराम
3. राणाराम पुत्र गुणेशाराम
   जाति कलबी निवासी आमलियाला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण
1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. खंगाराराम पुत्र सोनाराम जाति कलबी
3. कैलाश कंवर पत्नी रामसिंह
4. यशपालसिंह पुत्र रामसिंह
5. सुमेरसिंह पुत्र रामसिंह
   जाति राजपूत निवासी आमलियाला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
6. शाखा प्रबन्धक बीसीसीबी शाखा गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरस्त करने बाबत्

उपस्थित : श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 12/1/24

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 347/4 रकबा 1.9425 है व विप्रार्थी संख्या 2 का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 347/2 रकबा 3.8850 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 347/3 रकबा 2.1044 हैक्टेयर ग्राम आमलियाला पटवार क्षेत्र भेडाना तहसील गुडामालानी में अवस्थित है। उक्त खसरे मूल खसरा नम्बर 347/ के बचान से विभक्त होकर बने हैं, विभक्त खसरों का रकबा तो बेचान दस्तावेज के अनुसार लिखा गया परन्तु लट्ठा ट्रेस में तरमीम करते वक्त बेचान दस्तावेज व मौके से भिन्न कर दी है जिससे मौके व राजस्व रेकेर्ड लट्ठा ट्रेस में भिन्नता आने पर विवाद की स्थिति बन गई है, लट्ठा ट्रेस के आधार पर ही ऑन–लाईन भू–नक्शा में तरमीम कर दी गई है जिससे वर्तमान में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व लट्ठा ट्रेस में भिन्नता की जानकारी होने पर राजस्व

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

कार्मिकों द्वारा की गई उक्त कलमीय भूल सुधार हेतु तरमीम दुरूस्ती का यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण संख्या 2 ता 6 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 1 भूमिधारक तहसीलदार गुडामालानी ने अपनी रिर्पोट कमांक भू.अ./2023/1604 दिनांक 27.12.2023 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपपंजीयक गुड़ामालानी के दस्तावेज कमांक 182 दिनांक 03.06.1994 में दर्शाये गये सेढा पडौसियान तथा वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार नहीं है, कब्जा काश्त व वर्तमान तरमीम में भिन्नता है जिसे शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। उक्त खसरा नम्बर 347/4, 347/2 347/3 की तरमीम शुद्ध करने हेतु बरंग नक्शा तैयार किया गया है, इसी अनुसार पक्षकारान का वर्तमान कब्जा काश्त है तथा उपस्थित मौतबरान एवं पक्षकारान द्वारा इसे स्वीकार कर तरमीम दुरूस्ती किये जाने की सहमति दी है। प्रस्तावित नक्शानुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड तथा भूमिधारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत मौका रिर्पोट का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया। तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकित तरमीम व पंजीवद्ध दस्तावेज में दर्ज पाडौस में भिन्नता है तथा तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के कब्जा काश्त व लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम में भिन्नता होने की पुष्टि करते हुए तरमीम दुरूस्त करने की सहमति दी है। अतः तहसीलदार गुड़ामालानी की अनुशंषा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट कमांक भू.अ./2023/1604 दिनांक 27.12.2023 द्वारा प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 347/4 रकवा 1.9425 है एवं विप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 347/2 रकवा 3.8850 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 347/3 रकबा 2.1044 हैक्टेयर ग्राम आमलियाला पटवार क्षेत्र भेडाना तहसील गुडामालानी की प्रस्तावित तरमीम नक्शा 'B' अनुसार प्रस्तावित तरमीम जमाबन्दी में अंकित

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

रकबे की सीमा तक शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2023/ 1604 दिनांक 27.12.2023 मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार गुड़ामालानी आदेशों की पालना कर पालना रिर्पोट एक माह में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी